दिनांक 24.06.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 20 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 4,00,000/- रू0) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन सवेरा 2.0"** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इंद्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा दिनांक 23.06.2026 को गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **शकील पुत्र अफसर निवासी ग्राम नया कुण्डा थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को ग्राम बसी नया कुण्डा मे बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 312/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त शकील उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शकील पुत्र अफसर निवासी ग्राम नया कुण्डा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 20 ग्राम अवैध स्मैक कुल वजन

गिरफ्तार अभियुक्त शकील का आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 06/21 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना गगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1330 परविन्द्र थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 261 मनोज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक- 24.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा गौकशी की घटना को अंजाम देने जा रहे 03 शातिर गौकश/अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 जिंदा गौवंश एंव गौकशी करने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, गौकशी की घटनाओं की रोकथाम व गौकशी की घटनाओं में शामिल अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जननद सहारनपुर पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 23.06.2026 को थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गौकशी की घटना को अंजाम देने जा रहे 03 शातिर गौकश/अभियुक्तगण **1. नौशाद पुत्र रिजवान निवासी ग्राम नियामतपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर 2. हारून पुत्र जाहिद निवासी ग्राम चक अवाबाकरपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर 3. फुरकान पुत्र सुक्कड़ निवासी ग्राम लामग्रन्ट थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार** को ग्राम झीबरहेड़ी एंव ग्राम हमीरपुर के बीच पोपलर के खेत मे लगे ट्यूबेल के पास से गिरफ्तार किया गया । एक गौकश/अभियुक्त घने जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार गौकश/अभियुक्त की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से गौकशी करने के उपकरण, 03 रस्सी प्लास्टिक की एंव 01 जिंदा गौवंश बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 105/26 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम सभी मिलकर रात्रि के समय घने जंगल में घूम रहे अवारा पशुओं को पकड़कर गौकशी करते हैं। दिनांक 23.06.2026 की रात्रि को हम सभी मिलकर ग्राम झीबरहेड़ी के जंगल में गौकशी करने गये थे, तभी वहाँ अचानक पुलिस ने आकर घेर कर हमें पकड लिया व हमारा एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. नौशाद पुत्र रिजवान निवासी ग्राम नियामतपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर
2. हारून पुत्र जाहिद निवासी ग्राम चक अवाबाकरपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. फुरकान पुत्र सुक्कड़ निवासी ग्राम लामग्रन्ट थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार

बरामदगी का विवरण –

- 01 जिंदा गौवंश
- 02 छुरे
- 01 कुल्हाड़ी
- 01 लकड़ी का गुटका
- 03 रस्सी प्लास्टिक की

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री विजय सिंथाना बिहारीगढ सहारनपुर
4. है0का0 912 मोतीलाल थाना बिहारीगढ सहारनपुर
5. है0का0 472 अंकित कुमार थाना बिहारीगढ सहारनपुर
6. का0 2014 राहुल थाना बिहारीगढ सहारनपुर
7. का0 533 विनित कुमार थाना बिहारीगढ सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 24.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय पशु चोर गिरोह का मुख्य सरगना शातिर चोर/ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा/ 01 जिंदा कारतूस.315 बोर, एंव 23,200/- रूपये नगद बरामद

घटना का विवरण: –

1.वादी श्री संजय पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम नल्हेडा थाना नकुड जनपद सहारनपुर के द्वारा दिनांक 16.06.2026 को थाना नकुड पर मु0अ0स0 330/26 धारा 305(ए) बीएनएस बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी के बाड़े से 31 भेड़े चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दर्ज कराया गया था। प्रकरण में विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 305(ए) बीएनएस का विलोपन करते हुए धारा 127(7), 310(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी थी।

2.वादी श्री राकेश कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना नकुड जिला सहारनरपुर द्वारा दिनांक 21.05.26 को थाना नकुड पर मु0अ0सं0 290/26 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर बाबत वादी के घेर से वादी की भैंस चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाही: - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटनाओं का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 23.06.2026 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा घटना में शामिल 06 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा गिरफ्तार अभियुक्तगण के एक अन्य साथी टीटू पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम नल्हेडा थाना नकुड जनपद सहारनपुर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर घने जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया था। फरार अभियुक्त की तलाश हेतु थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा लागातर क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा अतिरिक्त निरीक्षक श्री सुभाष चन्द के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी अम्बेहटापीर उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना द्वारा मय पुलिस फोर्स के उपरोक्त घटना में शामलि **अन्तर्राज्यीय पशु चोर गिरोह के मुख्य सरगना शातिर चोर/ अभियुक्त टीटू पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम नल्हेडा थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को अम्बेहटा फन्दपुरी मार्ग से नल्हेडा जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तंमन्चा / 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 23,200/- रूपये नगद बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 339/26 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1) बीएनएस में 3/25/27 आर्म्स एक्ट तथा मु0अ0सं0 330/26 धारा 127(7)/310(2)/317(3) बीएनएस में 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त टीटू ने बताया गया कि मैंन अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 15/16.06.2026 की रात्रि में ग्राम नल्हेडा के जंगल में एक बाडे से 20 भेड को को चोरी कर ली थी तथा सभी भेड़ो को छोटे हाथी में भरकर मैं और मेरे अन्य साथी मुण्डलाना के जंगल में ले गये थे जहां हमने इन भेडो को छिपा कर रखा था, जिसमें से हमने 05 भेडें बेच दी थी तथा बेची गयी 05 भेडो के पैसो से एक नई स्पलैण्डर प्लस

मोटर साईकिल खरीदी थी। बाकी बचे भेड़ो को हम सभी करनाल हरियाणा में बेचने जा रहे थे कि तभी पुलिस ने हमें घेर लिया था, जिसपर मैनें अपने साथियों के कहने पर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था और जंगल व अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया था।मैनें शोयेब अंसारी के साथ मिलकर करीब एक महीना पहले ग्राम मलकपुर से एक भैंस भी चोरी की थी जिसे चलते फिरते व्यापारी को 50 हजार रूपये में बेच दिया था जिसमें से 10 हजार रूपये शोएब को दिये थे तथा 40 हजार रूपये अपने पास रख लिये थे। पुलिस ने जो मुझसे 23,200 रुपये बरामद किये थे ये रुपये उसी में बचे हुए थे बाकि रुपये मैंने खर्च कर दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

टीटू पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम नल्हेडा थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा/ 01 जिंदा कारतूस .315 बोर (घटना में प्रयुक्त)
- 20,000/- रूपये नगद (मु0अ0सं0 290/26 से सम्बन्धित)
- 3,200/- रूपये नगद (मु0अ0सं0 330/26 से सम्बन्धित)

गिरफ्तार अभियुक्त टीटू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 330/26 धारा 127(7)/310(2)/317(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नकुड सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 339/26 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नकुड स0पुर
3. मु0अ0सं0 290/26 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस थाना नकुड सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 229/14 धारा 364 भादवि थाना नकुड सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 635/19 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 377/16 धारा 307/506 भादवि थाना नकुड सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 101/19 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना नकुड सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 621/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 58/26 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 22/23 धारा 414 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना तीतरों सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.अतिरिक्त निरीक्षक श्री सुभाष चन्द थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
2.उ0नि0 देवेन्द्र अधाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
3.है0का0 892 अजय राठी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
4.है0का0 650 वरणकार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
5.का0 1259 विनीत तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,

-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.06.2026 को वादी श्री जोगिन्द्र चौधरी पुत्र मंगन सिंह निवासी ग्राम मिरगपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत वादी के पिता मंगन सिंह को अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करने के सम्बंध में में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 462/2026 धारा 109(1)/333 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास की घटना का सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये अभियुक्त **सोनू पुत्र दर्शनलाल निवासी तल्हेडी खुर्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को जंगल ग्राम मिरगपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

सोनू पुत्र दर्शनलाल निवासी तल्हेडी खुर्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 01 नाजायज चाकू (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 गोविन्द शरण चौकी प्रभारी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. का0 16 पवन कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
3. का0 2253 संजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक – 24.06.2026

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11.5 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों नशे के/ अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **– "ऑपरेशन सवेरा""नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन सवेरा 2.0" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दि0 23/24.06.26 की रात्रि को गस्त व चैकिग के दौरान थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त **साकिब पठान पुत्र जाकिर पठान निवासी मौ0 मुल्तानियान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को 11.5 ग्राम अवैध स्मैक सहित बीबीपुर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 461/2026 धारा 8/21/29 NDPS ACT मे पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

साकिब पठान पुत्र जाकिर पठान निवासी मौ0 मुल्तानियान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 11.5 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 गोविन्द शरण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. का० 2253 संजय यादव थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. का0 2284 श्रीकृष्ण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 24.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.06.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा दौराने गस्त/चैकिंग 01 शातिर अभियुक्त **विक्की पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम ककराला, थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को मानकमऊ थरोली रोड नहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया गयाष जिसके कब्जे से 01 देशी तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त विक्की उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 284/2026 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
विक्की पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम ककराला, थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-
- 01 अवैध तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज ।

गिरफ्तार अभियुक्त विक्की का आपराधिक इतिहास-
- 1.मु0अ0स0 70/2024 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- 2.मु0अ0स0 03/2025 धारा 8/20 NDPS अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- 3.मु0अ0सं0 284/2026 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-
1. उ0नि0 कुलवंत सिंह मलिक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 1157 मुकेश थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 234 अरुण थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें मे 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.06.2026 को थाना कुतुबशेर पर वादी श्री सारिक पुत्र कल्लू उर्फ जमीर निवासी मौ0 ढोलीखाल ऊंची मस्जिद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.सोहराब पुत्र शाहिद 2. दानिश तोता पुत्र शाहिद 3. जूबी पत्नी सोहराब निवासीगण कमेला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा जान से मारने की नियत से वादी के भाई दानिश उर्फ पोंचा व चचेरे भाई अलीशान पर छुरी से वार कर घायल करना व गन्दी गन्दी गाली देना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0- 281/26 धारा 109(1)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर बरामद चाकू व मजरूबो को आयी चोटो के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आयुध अधि0 एवं 118(1) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश निर्देश निर्गत किये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास मे नामजद वांछित अभियुक्त **सोहराब पुत्र शाहिद निवासी कमेला कालोनी थाना मण्डी जिला सहारनपुर** को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर दबनी कब्रिस्तान तालाब के किनारे रखी सीमेंट की बेंच के नीचे से एक सफेद पालिथीन मे घटना मे प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त सोहराब ने बताया कि दिनांक 23.06.26 को मेरी दानिश और अलिशान की किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई- झगड़ा हो गया था जिससे क्रोधित होकर मैंने दानिश पर चाकू से वार कर दिया था। फिर मैं डर कर मौके से भाग गया था और घटना में प्रयुक्त चाकू को दबनी कब्रिस्तान तालाब के किनारे रखी सीमेंट की बेंच के पाये के नीचे से एक सफेद पालिथीन मे छिपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त सोहराब पुत्र शाहिद निवासी कमेला कालोनी गली निकट कुरेशियान मस्जिद थाना मंडी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 नाजायज चाकू (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त सोहराब का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 645/19 धारा 308/324 आईपीसी थाना मण्डी सहारनपुर

2. मु0अ0स0 50/24 धारा ¾ दहेज अधि0 323/498ए/504 आईपीसी थाना मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0स0 293/24 धारा 115(2)/118(2)/191(2)/191(3)/333/351(3)/74 बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 281/26 धारा 109(1)/352/351(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

5. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. उ0नि0 अतुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. का0 2033 अजय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
8. का0 1265 विक्रांत थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 24.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी/अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इंद्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.06.2026 थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा 01वारण्टी **अभियुक्त मुस्ताहिद उर्फ भूरा पुत्र जमील उर्फ जलील निवासी ग्राम कुण्डा खुर्द थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को संबधित वाद संख्या 992/2023 मु0अ0सं0 596/21 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह मा0 स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कक्ष 12 जिला सहारनपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय जनपद सहारनपुर के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी का नाम व पता-

मुस्ताहिद उर्फ भूरा पुत्र जमील उर्फ जलील निवासी ग्राम कुण्डा खुर्द थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी-

1. उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1330 परविन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 261 मनोज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक:24.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा अपमिश्रित शराब बनाते हुए 05 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से कच्ची शराब बनाने के उपकरण , 610 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब ,800 लीटर लहन तथा 05 किलोग्राम यूरिया बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध मदिरा/शराब के निर्माण/बिक्री/तस्करी के कारोबार की रोकथाम व इस कारोबार मे संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बडगाँव श्री नरेन्द्र भडाना के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.06.2026 को थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा अपमिश्रित शराब बनाते हुए 05 शातिर अभियुक्तगण **1. अंकित पुत्र शेरू उर्फ शेर सिंह निवासी ग्राम सावंतखेडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर 2. अमृत पुत्र शेरू उर्फ शेर सिंह निवासी ग्राम सावंतखेडी थाना बडगाव जनपद सहारनपुर 3. शेरू उर्फ शेर सिंह पुत्र रूल्हा निवासी ग्राम सांवतखेडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर 4. श्रीमती मीना पत्नी शेरू उर्फ शेर सिंह निवासी ग्राम सावंतखेडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर 5. श्रीमती सनिता पत्नी राजू निवासी ग्राम सावंतखेडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर** को ग्राम सावंतखेडी से उनके घर से गिरफ्तार किया गया। **जिनके कब्जे से अपमिश्रित शराब की भट्टी (शराब कसीदगी के उपकरणो) एवं 610 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 800 लीटर लहन तथा 05 किलोग्राम यूरिया बरामद हुए।** गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 156/2026 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 274/275 बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता -

1. अंकित पुत्र शेरू उर्फ शेर सिंह निवासी ग्राम सावंतखेडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2. अमृत पुत्र शेरू उर्फ शेर सिंह निवासी ग्राम सावंतखेडी थाना बडगाव जनपद सहारनपुर
3. शेरू उर्फ शेर सिंह पुत्र रूल्हा निवासी ग्राम सांवतखेडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
4. श्रीमती मीना पत्नी शेरू उर्फ शेर सिंह निवासी ग्राम सावंतखेडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
5. श्रीमती सनिता पत्नी राजू निवासी ग्राम सावंतखेडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 610 लीटर अवैध कच्ची शराब (07 जरीकैन में)
- 05 किलोग्राम यूरिया
- 05 लोहे का ड्रम मय पाईप व 05 लोहे की प्लेट
- 03 पतीली एल्यूमिनियम

- 05 ड्रम(लहन से भरा)
- 02 अधकटी प्लास्टिक की जरीकैन
- 06 तसले
- 01 गैस सिलेण्डर इन्डेन कम्पनी
- 05 गैस के चूल्हे
- 04 बडे सिलेण्डर व 02 छोटे सिलेण्डर
- 8 खाली डिब्बे (15-15 किलोग्राम के)
- 01 प्लास्टिक/ 01 सिल्वर की बाल्टी
- 01 टीन का कनस्तर

गिरफ्तार अभियुक्त शेरू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 48/2003 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बडगाव जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 243/2010 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 284/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बडगाव जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 32/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. श्री नरेन्द्र भडाना थानाध्यक्ष थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 आलोक कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री हितेश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री लाखन सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
5. उ0नि0 मौ0 कामिल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
6. उ0नि0 श्री बचन सिंह अत्री थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
7. उ0नि0 श्री सतीश चन्द थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
8. हे0कां0 1201 मनोज कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
9. हे0कां0 308 दानवीर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
10. हे0कां0 285 राहुल खोखर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
11. कां0 951 निकेत शर्मा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
12. कां0 123 प्रभाकर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
13. कां0 116 कोशिन्द्र थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
14. कां0 1091 अनुज थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
15. कां0 1485 ओमकार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
16. कां0 2454 जितेन्द्र थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
17. म0हे0कां0 743 अन्जू सोम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
18. म0कां0 392 पूजा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
19. म0कां0 406 शिवानी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांक:24-06-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 01 प्लास्टिक की बोतल मे 05 लीटर कच्ची शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 24.06.2026 को थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा चैकिग/गस्त के दौरान 01 अभियुक्त **जुनैद पुत्र जाहिद निवासी मोहल्ला महल कस्बा में थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर** शेरपुर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की बोतल मे 05 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर पर मु0अ0स0-210/2026 धारा 60 (1) अबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पता:-

जुनैद पुत्र जाहिद निवासी मोहल्ला महल कस्बा में थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 प्लास्टिक की बोतल मे 05 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 975 कपिल कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।
3. रि0का0 1944 अभिषेक थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।